

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)**

**डिक्री**

वाद सं. 65/17	धारा अन्तर्गत 53 आर0टी0ए0	निर्णय दिनांक 01.10.2019
समक्ष- श्री हीरालाल मीना (R.A.S.)		
अभि.वादी- श्री हरिओम चतुर्वेदी	अभि.प्रतिवादी- श्री असलम भारती, श्री हिमांशु जैन	

**वाद शीर्षक**

- हुसैन बानो पुत्री ईदा खां पत्नि अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी बड़ौद तह0 दीगोद जिला कोटा
- अमीन पुत्र ईदा खां जाति मुसलमान
- अजीम पुत्र ईदा खां जाति मुसलमान निवासीगण गजनपुरा बारां हाल निवासी म0नं0 12 बोरखेड़ा कोटा

**बनाम**

- मुस्ताक अहमद पुत्र ईदा खां जाति मुसलमान निवासी गजनपुरा बारां हाल निवासी भारत नगर बोहरा जी की बगीची मांगरोल बाई पास पीलिया मेन रोड़, बारां
- शहजाद पुत्र ईदा खां जाति मुसलमान निवासी पीलिया स्कूल के पास गजनपुरा कोटा रोड़, बारां
- जेतून बेवा ईदा खां जाति मुसलमान निवासी गजनपुरा बारां (राज.)
- राज0 सरकार जयें तहसीलदार, बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि हस्ब राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि ग्राम गजनपुरा की आराजी ख.नं. 87 रकबा 0.07 है. उत्तरी, 297 रकबा 0.12 है. दक्षिणी, 487/683 रकबा 0.08 है. उत्तरी, 425 रकबा 0.16 है. उत्तरी, 706/322 रकबा 0.03 है. उत्तरी, कुल 0.46 है. प्रतिवादी कम 1 मुस्ताक के, आराजी ख.नं. 87 रकबा 0.07 है. दक्षिणी, 297 रकबा 0.12 है. उत्तरी मध्य, 487/683 रकबा 0.07 है. दक्षिणी, 425 रकबा 0.17 है. पश्चिमी दक्षिणी, 706/322 रकबा 0.03 है. दक्षिणी कुल 0.46 है. प्रतिवादी कम 2 शहजाद के, आराजी ख.नं. 297 रकबा 0.11 है. उत्तरी मध्य, 425 रकबा 0.16 है. उत्तरी पूर्वी कुल 0.27 है. वादी कम 3 अजीम के, आराजी ख.नं. 297 रकबा 0.12 है. उत्तरी वादी कम 2 अमीन के तथा आराजी ख.नं. 425 रकबा 0.17 है. उत्तरी पूर्वी वादिया हुसैन बानो के पृथक पृथक खाते दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी कम 3 का नाम खाते से विलोपित किया जावे। उक्तानुसार प्रत्येक पक्षकार अपने खाते की आराजी से लगी हुई दूसरे पक्षकार की आराजी में कृषि उपकरणों एवं कृषि वाहनों को अपनी मेढ़ से आने जाने का अधिकारी होगा।

साथ ही नियमानुसार .....~~₹~~..... ₹0 का व्ययानुतोष .....~~₹~~..... द्वारा.....~~₹~~..... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 01.10.2019 को निर्गत किया गया।

**व्ययानुतोष**

क्रम	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प व लेखन सामग्री व्यय)	/	/
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प व लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प व लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प व लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज ( % )		
	योग		

